प्रारंभिक परीक्षा

क्विक रिएक्शन सरफेस - टू एयर मिसाइल

संदर्भ

सेना अगले चार से पांच महीनों के भीतर स्वदेशी रूप से विकसित क्विक रिएक्शन सरफेस - टू एयर मिसाइल (QRSAM) प्रणाली के लिए अनुबंध को भी अंतिम रूप देने वाली है।

क्विक रिएक्शन सरफेस - टू एयर मिसाइल(QRSAM) प्रणाली के बारे में -

- **द्वारा विकसित:** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)
- **उद्देश्य:** लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, यूएवी, क्रूज मिसाइल आदि जैसे हवाई खतरों के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया हवाई रक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
- **मुख्य विशेषताएं एवं क्षमताएं:**
    - **रेंज: 30 किमी.**
    - **ऊंचाई कवरेज:** कम से मध्यम ऊंचाई पर लक्ष्यों को भेदने में सक्षम।
    - **गतिशीलता:** तीव्र तैनाती के लिए 6x6 पहिए वाले वाहनों पर लगाई गई अत्यधिक गतिशील प्रणाली।
    - **प्रतिक्रिया समय:** अत्यंत कम, जिससे यह अचानक हवाई खतरों के विरुद्ध प्रभावी हो जाता है।
    - **सभी मौसम क्षमता:** रेगिस्तान और उच्च ऊंचाई वाले इलाकों सहित विभिन्न मौसम स्थितियों में काम कर सकती है।

स्रोत: The Hindu - QRSAM

अनुग्रह भुगतान(Ex-Gratia Payments)

संदर्भ

रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के पीड़ितों के परिजनों को नकद अनुग्रह राशि वितरित की, जिससे भुगतान के तरीके को लेकर चिंता पैदा हो गई।

अनुग्रह भुगतान क्या है?

- **यह भुगतान नैतिक दायित्व के तहत किया जाता है, कानूनी दायित्व के तहत नहीं।**
- **उद्देश्य:** त्रासदियों के बाद जिम्मेदारी या गलती स्वीकार किए बिना सरकार की सद्भावना प्रदर्शित करना।
- भुगतान के तरीके पर कोई सख्त सरकारी दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं। आम तौर पर, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भुगतान बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है।

यह मुआवजे से किस प्रकार भिन्न है?

पहलू	**अनुग्रह राशि (Ex-Gratia payment)**	**मुआवज़ा(Compensation)**
कानूनी आधार	**कोई कानूनी बाध्यता नहीं**	**कानूनी रूप से अनिवार्य**
उद्देश्य	नैतिक समर्थन, सद्भावना	हानि/क्षति की क्षतिपूर्ति
उदाहरण	आपदाओं के बाद सरकारी सहायता	न्यायालय द्वारा आदेशित क्षतिपूर्ति, बीमा दावे।

स्रोत: **Indian Express - Ex-Gratia payment**

RBI $10 बिलियन USD-INR स्वैप डील के माध्यम से तरलता लाएगा

संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक(RBI) ने वित्तीय प्रणाली की टिकाऊ तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक USD-INR खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी की घोषणा की है।

मुद्रा स्वैप(Currency Swap) क्या है?

- **मुद्रा स्वैप एक वित्तीय अनुबंध है जहां दो पक्ष एक मुद्रा को दूसरे के लिए विनिमय करते हैं और पूर्व-सहमत विनिमय दर पर भविष्य की तारीख में लेनदेन को उलटने के लिए सहमत होते हैं।**
- **RBI के USD-INR खरीद/बिक्री स्वैप का उद्देश्य:**
    - ब्याज दरों को प्रभावित किए बिना तरलता का प्रबंधन करता है।
    - पूंजी बहिर्प्रवाह की अवधि के दौरान भारतीय रुपये (INR) को स्थिर करने में मदद करता है।
    - विदेशी मुद्रा भंडार का समर्थन करता है और सट्टेबाजी के दबाव को कम करता है।

मुद्रा स्वैप के प्रकार -

- **खरीद/बिक्री स्वैप (RBI द्वारा तरलता इंजेक्शन)**
    - **प्रथम चरण (खरीद चरण):** RBI बैंकों से अमेरिकी डॉलर खरीदता है और उन्हें रुपया देता है।
    - **दूसरा चरण (बिक्री चरण, अवधि समाप्त होने के बाद):** RBI पूर्व-सहमति वाले विनिमय दर पर अमेरिकी डॉलर को वापस बेचता है और रुपया वापस लेता है।
    - **उद्देश्य:** बैंकिंग प्रणाली में रुपये की तरलता बढ़ाना।
- **बिक्री/खरीद स्वैप (RBI द्वारा तरलता अवशोषण)**
    - **प्रथम चरण (बिक्री चरण):** RBI अमेरिकी डॉलर बेचता है और बैंकों से रुपया लेता है।
    - **दूसरा चरण (खरीद चरण, अवधि समाप्त होने के बाद):** RBI अमेरिकी डॉलर वापस खरीदता है और रुपया लौटाता है।
    - **उद्देश्य:** अतिरिक्त रुपया तरलता को अवशोषित करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना।

स्रोत: The Hindu - USD-INR Swap deal

गाजा संकट पर रियाद शिखर सम्मेलन

संदर्भ

हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस ने रियाद में एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जिसमें जॉर्डन और मिस्र के साथ-साथ खाड़ी सहयोग परिषद के छह देशों के नेता एक साथ आए।

रियाद शिखर सम्मेलन के बारे में -

- **शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गाजा की आबादी को स्थानांतरित करने और क्षेत्र पर कब्जा करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रस्ताव पर एक एकीकृत अरब रुख प्रस्तुत करना था।**
- रियाद शिखर सम्मेलन ने ट्रम्प की योजना को अस्वीकार करके अरब एकता को मजबूत किया।
- दो-राज्य समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की तथा निम्नलिखित की वकालत की:
    - एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य।
    - पूर्वी येरुशलम को इसकी राजधानी बनाना।

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के बारे में -

- **GCC एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें फारस की खाड़ी के छह अरब राज्य शामिल हैं।**
- इसकी **स्थापना 25 मई 1981 को** हुई थी।
- **मुख्यालय:** रियाद, सऊदी अरब।
- **इसकी स्थापना अपने सदस्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।**
- **सदस्य देश (6):** बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)।
- GCC की **सुप्रीम काउंसिल** सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
- **GCC के उद्देश्य:**
    - **आर्थिक सहयोग:**
        - साझा बाज़ार एवं सीमा शुल्क संघ का गठन।
        - सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना।
    - **सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग:**
        - बाहरी खतरों से क्षेत्र की सुरक्षा।
        - संयुक्त सैन्य अभ्यास (जैसे, प्रायद्वीप शील्ड फोर्स)।
    - **राजनीतिक समन्वय:**
        - क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर एकीकृत रुख।

स्रोत: **The Hindu - Mini-Arab Summit**

समाचार में स्थान

माउंट डुकोनो(Mount Dukono)

- हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो में ज्वालामुखी फट गया।

- **अवस्थिति:** हल्माहेरा द्वीप, उत्तरी मालुकु, इंडोनेशिया।
- **यह एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है।**

इंडोनेशिया में हाल ही में फटे बड़े ज्वालामुखी -

- **माउंट मेरापी:** योग्याकार्टा शहर के पास स्थित है।
- **माउंट रुआंग:** यह सुलावेसी द्वीप समूह में स्थित एक स्ट्रैटो ज्वालामुखी है।
- **माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी:** फ्लोरेस द्वीप में स्थित है

स्रोत: DD News- Mt. Dukono

समाचार संक्षेप में

NEP 2020 के तहत त्रि-भाषा फॉर्मूला

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) की त्रिभाषा नीति का कड़ा विरोध किया।

त्रि-भाषा फार्मूला क्या है?

- **NEP 2020 में सिफारिश की गई है कि छात्र तीन भाषाएं सीखें, जिसमें राज्यों को यह चुनने की छूट होगी कि वे कौन सी भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं।**
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - कम से कम दो भाषाएं भारत की मूल भाषा होनी चाहिए।
  - कार्यान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ा गया है।
  - **कोई भी भाषा अनिवार्य नहीं है, लेकिन नीति हिंदी भाषी राज्यों को एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है।**
- **नीति के प्रति तमिलनाडु का विरोध:** तमिलनाडु में **दो-भाषा प्रणाली** (**तमिल और अंग्रेजी**) का पालन किया जाता है।

स्रोत: **The Hindu - 3 language formula**

गोपाल कृष्ण गोखले (1866-1915)

- हाल ही में जी.के. गोखले की **110वीं** पुण्यतिथि मनाई गई।

गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में -

- **उनका जन्म 1866 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी के कोटलुक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था।**
- **उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।**
- **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)**:
  - **1889 में कांग्रेस में शामिल हुए, बाद में 1905 (बनारस अधिवेशन) में कांग्रेस के अध्यक्ष बने।**
  - उन्होंने क्रमिक सुधार, स्वशासन (स्वराज) और प्रत्यक्ष टकराव के बजाय अंग्रेजों के साथ बातचीत की वकालत की।
- **महात्मा गांधी के गुरु: गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे** और शुरू में उनके उदारवादी दृष्टिकोण का अनुसरण करते थे।
- उन्होंने मॉर्ले-मिंटो सुधार (1909 अधिनियम) लाने में अग्रणी भूमिका निभाई।
- **वह 'सुधारक' पत्रिका (गोपाल गणेश अगरकर द्वारा शुरू की गई) से भी जुड़े थे।**

स्रोत: **Free Press Journal - GK Gokhale**

संपादकीय सारांश

अमेरिका में प्रवासी भारतीय

संदर्भ

कई भारतीय अमेरिका जैसे देशों में कानूनी प्रवेश चाहते हैं, जबकि अन्य कानूनी प्रवास के सीमित अवसरों के कारण अवैध रूप से प्रवेश कर सकते हैं।

अमेरिका में प्रवासी भारतीयों का प्रभाव -

सकारात्मक प्रभाव

- **आर्थिक योगदान:** लाखों भारतीयों और भारतीय अमेरिकियों ने कुशल श्रम, उद्यमशीलता और नवाचार के माध्यम से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान की है।
    - भारत में "वैश्विक क्षमता केन्द्रों" के उदय ने भारतीय प्रतिभा का लाभ उठाकर अमेरिकी कम्पनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत किया है।
- **नवाचार और तकनीकी उन्नति:** भारतीय मूल के वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष अनुसंधान और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक नवाचारों में योगदान देते हैं।
    - भारतीय-अमेरिकियों द्वारा स्थापित कई स्टार्टअप्स ने वैश्विक स्तर पर उद्योगों को बदल दिया है।
- **सांस्कृतिक प्रभाव और सॉफ्ट पावर:** बॉलीवुड, योग, भारतीय व्यंजन और दिवाली जैसे त्यौहारों ने अमेरिका में लोकप्रियता हासिल की है, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला है।
    - भारतीय-अमेरिकी भारत की वैश्विक छवि और कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाते हैं।
- **राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव:** बढ़ता राजनीतिक प्रतिनिधित्व (जैसे, कमला हैरिस, निक्की हेली और भारतीय मूल के कई अमेरिकी कांग्रेस सदस्य) भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है।
    - भारतीय-अमेरिकी समूहों द्वारा किए गए लॉबिंग प्रयासों ने भारत के प्रति अनुकूल अमेरिकी नीतियों को प्रभावित किया है।
- **धन प्रेषण और ज्ञान हस्तांतरण:** प्रवासी भारतीय अपने घर अरबों डॉलर धन प्रेषण के रूप में भेजते हैं, जिससे परिवारों और आर्थिक विकास को सहायता मिलती है।
    - पेशेवर लोग अनुसंधान सहयोग, कौशल-साझाकरण और भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश के माध्यम से योगदान करते हैं।

नकारात्मक प्रभाव

- **भारत से प्रतिभा पलायन:** अमेरिका में बेहतर अवसरों की तलाश में भारत छोड़ने वाले कुशल पेशेवरों के कारण भारत का कार्यबल कमजोर हो रहा है और घरेलू नवाचार धीमा पड़ रहा है।
    - भारत में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को शीर्ष प्रतिभाओं के पलायन के कारण अभाव का सामना करना पड़ रहा है।
- **कम कुशल प्रवासियों का संघर्ष:** कम वेतन वाली नौकरियों में काम करने वाले कई भारतीय प्रवासियों को शोषण, खराब जीवन स्थितियों और कानूनी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है।
    - अवैध प्रवासियों को निर्वासन और सामाजिक भेदभाव का खतरा रहता है।
- **नस्लीय भेदभाव और विदेशी-द्वेष:** अपनी सफलता के बावजूद, भारतीय-अमेरिकियों को नस्लवाद, घृणा अपराधों और कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
    - वीज़ा प्रतिबंध (एच-1बी) जैसी नीतियों ने भारतीय पेशेवरों के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है।
- **अमेरिका-भारत व्यापार असंतुलन और नीतिगत संघर्ष:** कुछ भारतीय पेशेवर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारत की तुलना में अधिक योगदान देते हैं, जिसके कारण आर्थिक असंतुलन पैदा होता है।
    - अमेरिकी सरकार की बदलती आव्रजन नीतियों (जैसे, "अमेरिका फर्स्ट") का अक्सर भारतीय श्रमिकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- **भारतीय-अमेरिकी समुदाय के भीतर विभाजन:** भारतीय प्रवासियों के भीतर राजनीतिक और वैचारिक विभाजन कभी-कभी अमेरिकी नीति निर्धारण में एकीकृत आवाज को आकार देने में घर्षण का कारण बनता है।
    - धार्मिक, जातिगत और क्षेत्रीय पहचानों पर आंतरिक संघर्ष सामूहिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

हालाँकि भारतीय प्रवासियों ने अमेरिका-भारत संबंधों को मजबूत करने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किन्तु प्रतिभा पलायन, भेदभाव और आव्रजन प्रतिबंध जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। दोनों देशों के लिए लाभ को अधिकतम करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

स्रोत: **Indian Express: Powering America**

भारत का आर्थिक विकास

संदर्भ

भारत 2007 में निम्न मध्यम आय वाला देश बन गया और आज भी उसी श्रेणी में बना हुआ है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- 18 वर्षों में, इसकी प्रति व्यक्ति आय $1,022 से बढ़कर $2,700 हो गई है, लेकिन उच्च मध्यम-आय स्थिति के लिए सीमा $4,516 है।
- IMF का अनुमान है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2029 तक 4,195 डॉलर तक पहुंच जाएगी, जिससे अगले दशक में उन्नयन की संभावना है, लेकिन इस दशक के अंत तक नहीं।

चुनौतियाँ क्या हैं?

- **मध्य-आय जाल:** भारत 2007 से निम्न-मध्यम आय वाला देश बना हुआ है।
  - उच्च मध्यम आय और बाद में उच्च आय की स्थिति में जाने के लिए निरंतर उच्च विकास की आवश्यकता होती है।
  - कई देशों (जैसे, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) को स्थिर उत्पादकता और कमजोर आर्थिक नीतियों के कारण परिवर्तन करने में संघर्ष करना पड़ा है।
- **असमान क्षेत्रीय विकास:** पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों (जैसे, तेलंगाना, कर्नाटक) में प्रति व्यक्ति आय अधिक है और वे उच्च मध्यम आय की स्थिति के करीब पहुंच रहे हैं।
  - पूर्वी और उत्तरी राज्य (जैसे, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल) औद्योगीकरण और प्रति व्यक्ति आय में पीछे हैं।
  - आर्थिक शक्ति औद्योगिक राज्यों में केंद्रित है, जबकि राजनीतिक शक्ति अक्सर गरीब क्षेत्रों में रहती है, जिसके कारण नीतिगत असंतुलन पैदा होता है।
- **रोजगार और श्रम बल चुनौतियां:** भारत की कार्यशील आयु वाली जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन अपर्याप्त है।
  - कृषि में ~45% कार्यबल कार्यरत है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान केवल ~18% है।
  - महिला श्रमबल भागीदारी (~ 25%) विश्व स्तर पर सबसे कम है।
- **मानव पूंजी में कम निवेश:** शिक्षा (जीडीपी का ~ 2.9%) और स्वास्थ्य सेवा (जीडीपी का ~ 1.5%) पर कम सार्वजनिक व्यय।
  - स्कूलों में खराब शिक्षण परिणाम कार्यबल की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं।
  - कमजोर स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा, उच्च चिकित्सा व्यय।
- **धीमा औद्योगीकरण और विनिर्माण विकास:** विनिर्माण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में केवल ~17% का योगदान देता है, जबकि चीन का योगदान 28% है।
  - प्रमुख क्षेत्रों (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर) में आयात पर भारी निर्भरता।
  - श्रम कानून और भूमि अधिग्रहण की चुनौतियाँ बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास में बाधक हैं।
- **बुनियादी ढांचे की बाधाएँ:** वैश्विक मानकों (~8-10%) की तुलना में उच्च लॉजिस्टिक्स लागत (जीडीपी का ~14%)।
  - बिजली की कमी और धीमी शहरी योजना औद्योगिक विकास में बाधा डालती है।
- **वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे:** गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) बैंकों की ऋण देने की क्षमता को कम करती हैं।
  - एमएसएमई को सख्त ऋण मानदंडों के कारण ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- **राजकोषीय चुनौतियाँ और बढ़ती असमानता:** कम कर-जीडीपी अनुपात (~ 11-12%) सरकारी राजस्व को सीमित करता है।

    - सब्सिडी पर उच्च सरकारी व्यय से बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के लिए धनराशि कम हो जाती है।
    - बढ़ती आय असमानता सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा बन रही है।
- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दे:** बढ़ता प्रदूषण, जल की कमी और चरम मौसम से कृषि और उद्योग को खतरा है।
    - भारत शीर्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों में से एक है, जो उत्सर्जन में कटौती के लिए वैश्विक दबाव का सामना कर रहा है।
- **वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक जोखिम:** आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, व्यापार प्रतिबंध और भू-राजनीतिक तनाव निर्यात और निवेश को प्रभावित करते हैं।
    - कुछ व्यापारिक साझेदारों पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक कमजोरियां पैदा करती है।

आगे की राह

- **"3i" दृष्टिकोण अपनाना:**
    - **Investment(निवेश)**: आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना।
    - **Infusion of Global Technology(वैश्विक प्रौद्योगिकी का समावेश):** उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
    - **Innovation(नवप्रवर्तन)**: अनुसंधान एवं विकास निवेश और स्टार्टअप्स के लिए समर्थन के माध्यम से नवप्रवर्तन की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- **विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना:** हरित हाइड्रोजन और एआई हार्डवेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं का विस्तार करने जैसी लक्षित औद्योगिक नीतियों को लागू करना।
    - कच्चे माल पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाकर इनपुट लागत को कम करना।
- **लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार:** लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 14% से घटाकर वैश्विक औसत लगभग 8% तक लाने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
- **मानव पूंजी विकास को बढ़ावा देना:** शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करना जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के साथ संरेखित होकर उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों के सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **विविधीकरण के साथ निर्यात-आधारित विकास को बढ़ावा देना:** यद्यपि पारंपरिक निर्यात-आधारित रणनीतियों को वैश्विक संरक्षणवाद के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन नए बाजारों या क्षेत्रों में विविधीकरण से विकास की गति को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
- **संरचनात्मक कमजोरियों का समाधान:** परिवहन नेटवर्क और उपयोगिताओं जैसे पुराने बुनियादी ढांचे को उन्नत करें।
    - सुधारों को सुव्यवस्थित करके सार्वजनिक संस्थाओं की दक्षता में सुधार लाना।
- **श्रम प्रधान विनिर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहित करना:** श्रम प्रधान उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करें जो रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकें तथा इन क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ा सकें।
- **प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना:** व्यवसायों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मजबूत अविश्वास विरोधी कानूनों को लागू करना।
    - आधार-आधारित वित्तीय समावेशन पहल जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता, प्रतिभा विकास और ऋण सुविधाओं तक पहुंच के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।

स्रोत: [Indian Express: The Missing Growth Strategy]

भारत में न्यायिक बैकलॉग(Judicial Backlog in India)

संदर्भ

भारत की न्यायिक प्रणाली को लंबित मामलों की भारी मात्रा के कारण एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या न्यायपालिका के सभी स्तरों को प्रभावित करती है, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निचली अदालतों तक।

तथ्य

- **सुप्रीम कोर्ट:** दिसंबर 2024 तक 83,000 से अधिक मामले लंबित थे।
- **उच्च न्यायालय:** 20 जनवरी 2025 तक 62 लाख (6.2 मिलियन) से अधिक मामले लंबित हैं।
- **निचली अदालतें:** लगभग पांच करोड़ (50 मिलियन) मामले लंबित हैं।

न्यायिक प्रणाली में चुनौतियाँ -

- **निम्न न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात:** प्रति दस लाख नागरिकों पर केवल 21 न्यायाधीश, जबकि अमेरिका जैसे देशों में प्रति दस लाख नागरिकों पर लगभग 150 न्यायाधीश हैं।
- **विरोधात्मक कानूनी प्रणाली:** मामलों में कई अंतरिम आवेदन और अपीलें आती हैं, जिससे मुकदमेबाजी लंबी हो जाती है।
- **संसाधनों की कमी:**
    - **बुनियादी ढांचे की कमी**: न्यायालय, डिजिटल प्रणाली और मानव संसाधन अपर्याप्त हैं।
    - **वित्तीय सीमाएँ**: न्यायिक क्षमता विस्तार के लिए सीमित बजट।
- **उच्च सरकारी मुकदमेबाजी:** लगभग 50% मामलों में सरकार एक पक्ष होती है, जिससे कानूनी जटिलताएं उत्पन्न होती हैं।

बैकलॉग कम करने के संभावित समाधान -

- **डेटा गवर्नेंस और केस वर्गीकरण:** मामलों का समझदारीपूर्ण वर्गीकरण, बार-बार होने वाले कानूनी झगड़ों को रोक सकता है और निपटान में तेजी ला सकता है।
- **तदर्थ आधार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति:** इससे अस्थाई रूप से लंबित मामलों को कम करने में मदद मिलती है , लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है।
- **उच्च मात्रा वाले मुकदमेबाजी क्षेत्रों में कानूनी सुधार:** चेक बाउंसिंग और मकान मालिक-किरायेदार विवाद लंबित मामलों में भारी योगदान करते हैं।
    - अनावश्यक मुकदमेबाजी (जैसे, तुच्छ मामलों के लिए दंडात्मक लागत) को हतोत्साहित करने के लिए कानूनों में संशोधन करने से मुकदमों का बोझ कम हो सकता है।
- **जिम्मेदार वादी के रूप में सरकार:** सरकार को लम्बी मुकदमेबाजी में उलझने के बजाय विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए।
    - वर्तमान प्रयासों से कुछ सुधार दिखाई देता है, लेकिन अत्यधिक कानूनी लड़ाइयों पर अंकुश लगाने के लिए सुधार की आवश्यकता है।

मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण समाधान है -

मध्यस्थता क्या है?

- **एक प्रक्रिया जिसमें विवाद करने वाले पक्ष एक तटस्थ मध्यस्थ से मिलकर पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान ढूंढते हैं।**
- गोपनीय, लचीला और स्वैच्छिक, कोई थोपा हुआ निर्णय नहीं।

भारत में मध्यस्थता का विकास

- **1990 का दशक:** भारत में प्रायोगिक विवाद समाधान पद्धति के रूप में शुरू किया गया।
- **2005:** न्यायालयों में लोकप्रियता प्राप्त करना शुरू हुआ, तथा यह एक स्वीकार्य प्रथा बन गयी।

- **वर्तमान:**
    - न्यायाधीश प्रायः मध्यस्थता की सिफारिश करते हैं।
    - हजारों वकील मध्यस्थ बन गए हैं।
    - न्यायालय इसे एक व्यवहार्य विवाद समाधान तंत्र के रूप में मान्यता देते हैं।

मध्यस्थता के लाभ

- **त्वरित समाधान:** अधिकांश मामले, यहां तक कि जटिल मामले भी, कुछ ही सत्रों में हल हो जाते हैं।
- **कम लागत:** मध्यस्थता में दोनों पक्षों और न्यायपालिका के लिए मुकदमेबाजी की लागत का एक अंश ही खर्च होता है।
    - वर्षों की सुनवाई, अपील और प्रशासनिक बोझ से बचा जा सकता है।
- **रिश्तों का संरक्षण:** मुकदमेबाजी के विपरीत, जो कि विरोधात्मक है, मध्यस्थता सहयोगात्मक समस्या-समाधान को बढ़ावा देती है।
    - व्यवसायों, परिवारों और व्यक्तियों को रिश्ते बनाए रखने में सहायता करता है।

बैकलॉग कम करने के लिए मध्यस्थता लागू करना -

- **मध्यस्थता के लिए उपयुक्त मामलों की पहचान:** बड़ी संख्या में सिविल, वाणिज्यिक और वैवाहिक विवादों का मध्यस्थता से निपटारा किया जा सकता है।
- **प्रशिक्षित मध्यस्थों की नियुक्ति:** न्यायालय मामलों को अनुभवी मध्यस्थों को सौंप सकते हैं।
    - मध्यस्थता सेवाओं के लिए उचित शुल्क आवंटित किया जाना चाहिए।
- **मध्यस्थता को संस्थागत बनाना:** व्यवसायों और सरकार को मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
    - मध्यस्थता को एक पूर्ण व्यवसाय के रूप में विकसित करना तथा इसमें भाग लेने वालों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

स्रोत: **The Hindu: Converting court case backlogs into treasure troves**